

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)  
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-22/2015

प्रस्तुति दिनांक 24.09.15

1. कंचन सिंह पुत्र देवी सिंह आयु 57 साल
2. प्रकाश पुत्र देवी सिंह आयु 32 साल समस्त जाति जाटव निवासीगण ग्राम टुडीला तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रं. 01 एवं 02

विरुद्ध

1. सरजू प्रसाद राजाराम आयु 62 वर्ष
2. श्यामाचरन आयु 37 वर्ष
3. सुनील कुमार आयु 32 वर्ष
4. ब्रजबिहारी आयु 23 वर्ष, पुत्रगण सूरजप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टुडीला तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

असल प्रत्यर्थी / वादीगण

5. विशम्भर पुत्र गोटे आयु 32 वर्ष,
6. जवाहर पुत्र गोटे आयु 29 वर्ष,
7. गोटे आयु 72 वर्ष,
8. बेदरी आयु 62 वर्ष पुत्रगण नन्दे जाति जाटव निवासीगण ग्राम टुडीला परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

9. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

तरतीबी प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 36ए/15 में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.15 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थीगण द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थीगण क्र. 01 लगायत 04 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थीगण क्र. 05 लगायत 09 अनुपस्थित, पूर्व से एक पक्षीय।

**—: निर्णय :—**

**( आज दिनांक 13.01.18 को घोषित)**

1. अपीलार्थीगण/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 01 गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 36ए/15 उनवान सरजू प्रसाद एवं अन्य बनाम कंचन सिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादीगण सरजू प्रसाद एवं अन्य के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में प्रस्तुत किये गये स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिदावा निरस्त कर दिया गया।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि इस अपील में प्रत्यर्थी क्रमांक 05 लगायत 09 तरतीबी प्रत्यर्थीगण बनाए गए हैं, असल प्रत्यर्थीगण वादीगण हैं।
3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण/वादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि ग्राम टुडीला परगना गोहद में भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 में वादीगण का मकान व गौड़ा बना हुआ है। जिसे मानचित्र में वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी जायदाद होकर प्रकरण में विवादित है। वादीगण उसके भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि पर वादीगण का ही हमेशा बर्ताव रहा है। जिस पर वृक्ष भी खड़े हैं। प्रतिवादीगण अर्थात् कंचन, विशम्भर, प्रकाश जवाहर, गोटे, बेदरी की उक्त विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। वे तार फेंसिंग उखाड़ कर कब्जा करने की धमकी देते हैं। दिनांक 15.01.13 को प्रतिवादीगण ने वादीगण से झगड़ा किया तो फेंसिंग व पेड काटने की धमकी दी। उक्त आधार पर उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।

4. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 07 म0प्र0 शासन को विधिवत् तामील होकर वह प्रकरण में की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहा है। उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है। उसे विरुद्ध कोई सहायता भी नहीं चाही गई है।
5. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 03 व 06 की ओर से कोई प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 कंचन सिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 प्रकाश के द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकबा 0.03 हेक्टे0 स्थित ग्राम टुडीला परगना गोहद का प्रतिवादीगण अपने पिता देवीलाल के समय से ही खलियान एवं गौड़ा निस्तार के रूप में लगभग 90 वर्षों से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वास्तव में विवाद इसी भूमि का है। प्रतिवादीगण के पिता देवी लाल की मृत्यु 1995 में हो गई थी। जिसके बाद प्रतिवादीगण खलियान व गौड़ा के रूप में निस्तार निर्विघ्न रूप से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहा है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में वादीगण सर्वे क्रमांक 563 के भूमि है, जबकि विवाद सर्वे क्रमांक 564 का है। जहां पर अवैध रूप से वादीगण के द्वारा बलपूर्वक दिनांक 15.01.13 को तार फेंसिंग कर अतिक्रमण कर लिया है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 04.02.13 को तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण क्रमांक 35/13/अ-68 पंजीबद्ध होकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जिस पर से रिपोर्ट पंचनामा सहित बनाया गया, पंचों की राय के अनुसार भी उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य चला आ रहा था। वादी गण के द्वारा सर्वे क्रमांक 564 पर अतिक्रमण कर लिया है और सर्वे क्रमांक 563 के आधार पर गलत दावा प्रस्तुत कर दिया है।
6. प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 06 को गलत रूप से प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 564 पर प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का ही आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी गण द्वारा दिनांक 15.01.13 को कोई झगड़ा नहीं किया गया। वादीगण के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया

गया है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादपत्र में ही प्रतिदावा भी प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त अभिवचन करते हुए भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित करने एवं कब्जा वापिस दिलाने की सहायता की प्रार्थना की गई।

7. वादीगण की ओर से उक्त प्रतिदावे का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 के संबंध में प्रतिवादीगण के पिता देवी लाल के समय में कभी भी खलियान व गौड़ा तथा निस्तार के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। वादीगण ने दिनांक 15.01.13 को कोई झगड़ा नहीं किया, अपितु प्रतिवादीगण के द्वारा ही धमकी दी गई प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिदावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। प्रतिदावा निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचन के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार दिए गए :-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादीगण विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 बांके मौजा टुडीला परगना गोहद में स्थित है, जिसमें उनका मकान एवं गौड़ा बना हुआ है, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?	भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 बांके पर वादीगण का मकान निर्मित होना प्रमाणित है।
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा वादीगण की कथित उक्त विवाद ग्रस्त भूमि के संबंध में अवैधानिक रूप से उन्हें बेदखल करने एवं बेकब्जा करने का प्रयास किया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
3. क्या प्रतिवादी (प्रतिदावा के वादीगण) भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 बांके ग्राम टुडीला परगना गोहद जिला भिण्ड का खलियान, गौड़ा के रूप में निस्तार कर 90 वर्ष से प्रयोग एवं उपयोग करते चले आ रहे हैं और वह स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?	प्रमाणित नहीं।
4. क्या प्रतिवादीगण की उक्त तथा कथित स्वत्व एवं	प्रमाणित नहीं।

आधिपत्य की भूमि पर वादीगण ने उन्हें अवैध रूप से बेदखल करने अथवा उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है ?	
5. क्या वादीगण ने दावे का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्याय शुल्क अदा किया है ?	हां।
6. सहायता एवं व्यय ?	प्रतिदावा निरस्त किया गया एवं वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

9. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 02 की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में प्रमुख आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 03 प्रमाणित मानने में भूल कारित की है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-04 के दस्तावेज पेश किए गए हैं। प्र0डी-01 का राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे क्रमांक 564 रकबा 0.03 में खलियान होना बताया है। जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी सरजू प्रसाद के द्वारा सर्वे क्रमांक 564 से प्रतिवादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 04 को प्रमाणित मानने में तथा प्रतिदावा निरस्त करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.15 निरस्त की जाकर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री पारित किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से मौखिक रूप से तर्क किया गया है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकबा 0.06 में है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

10. इस अपील के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या वादीगण विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकबा 0.06 स्थित ग्राम टुडीला परगना गोहद, जिसमें वादीगण का मकान बना हुआ है के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा विवादित भूमि से वादीगण



- को बेदखल करने का प्रयास किया गया ?
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
  4. क्या वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में उपरोक्त भूमि पर आवेध रूप से आधिपत्य करने अथवा प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया गया ?
  5. क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?
  6. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08 15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

#### सकारण निष्कर्ष

11. इस अपील के दौरान अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 का पेश किया गया है, जिसका निराकरण सर्वप्रथम किया जाना उचित है। जिसका लिखित उत्तर भी प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के संबंध में भी उभयपक्ष को सुना गया।
12. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से खसरा वर्ष 2014-15 सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए, उसे अभिलेख पर लेकर साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उक्त खसरे की जानकारी अपीलार्थीगण को सदैव से ही रही है और जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश न हीं किया गया है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
13. उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से प्र0डी0-02 की राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसमें भूमि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 खलियान के नाम से खसरे में दर्ज होना बताया गया है। इसी प्रकार वादीगण की ओर से प्र0पी0-05 की जो पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

उसमें भी सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 खलियान की जगह होना बताया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से इसी तथ्य का खसरा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में जो तथ्य स्वीकृत हो रहे हैं उसके संबंध में अपील स्तर पर दस्तावेज प्रस्तुत होकर अभिलेख पर लेकर उसे साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया गया।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 एवं 03:-**

14. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-16 में सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 हेक्टे0 पर वादीगण का मकान निर्मित होना मानते हुए उस सर्वे नंबर का उक्त भूमि में वादीगण के गौड़ा बने होने नीम व बेरिया के पेड़ लगे होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं माना है। आलोच्य निर्णय के पैरा नंबर 20 में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 का स्वामी व आधिपत्यधारी मान्य नहीं किया है। जिसका मुख्य आधार यह बताया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निरस्तार उपयोग की भूमि है। प्रतिवादीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 के वह स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा वादीगण के द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जब कि वादीगण का यह आधार है कि उसने अपनी ही भूमि पर तार फेंसिंग की है।
15. वादी सुनील श्रोती वा0सा0-01 ने प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-05 के दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं जिसमें प्रमुख दस्तावेज प्र0पी0-05 है, जो कि पटवारी द्वारा तहसीलदार को पेश की गई रिपोर्ट के संबंध में है। जिसमें सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.03 हेक्टे0 के संबंध में दिनांक 06.12.12 को सीमांकन करना बताया गया है और यह रिपोर्ट दी गई है कि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 में सरजू प्रसाद अर्थात् वादी के द्वारा तार फेंसिंग की गई है और उतनी ही जगह पर सरजू प्रसाद का कब्जा है। वहां देवी सिंह की कोई जगह नहीं है। यह भी रिपोर्ट दी है कि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 खलियान की जगह है और वह खाली पड़ा है। इस प्रकार दिनांक 06.12.12 की स्थिति में सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 का खाली होना बताया है अर्थात् वहां पर फेंसिंग होने की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।
16. प्रतिवादी कंचन सिंह प्र0सा0-01 के द्वारा प्र0डी0-01 लगायत 04 के

दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। जिसमें प्र0डी0-02, 03 एवं 04 के दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। प्र0डी0-02 राजस्व निरीक्षक के द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। जो दिनांक 08.02.13 को प्रस्तुत की गई है अर्थात् प्र0पी0-05 वाली रिपोर्ट सीमांकन दिनांक 06.12.12 के पश्चात् प्रस्तुत की गई है अर्थात् उक्त सीमांकन प्र0पी0-05 के सीमांकन के पश्चात् हुआ है।

17. प्र0डी0-02 में यह रिपोर्ट दी गई है कि पटवारी मौजा के साथ मौके पर जाकर मौका मुआयना किया, ग्राम आबादी से लगा हुआ शासकीय सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 खलियान के नाम से खसरे में दर्ज है। उक्त सर्वे नंबर पर आवेदक अर्थात् प्रतिवादी कंचन सिंह आदि काबिज होकर कण्डे बनता है व बिटोरा (ढेर) लगाता है, जिस पर पूर्वजों के समय से बर्ताव है। वादी सूरज प्रसाद के द्वारा कण्डे का बिटोरा हटाकर सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 पर तार फेंसिंग के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस रिपोर्ट प्र0डी0-02 की पुष्टि वादीगण की ओर से वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे से भली भांति होती है।

18. वादीगण ने अपने नक्शे में सर्वे क्रमांक 564 को भी दर्शाया है जो कि पश्चिम दिशा की ओर है। 563 सर्वे नंबर पूर्व दिशा की ओर है। सर्वे क्रमांक 564 पर भी नक्शे में वादी ने अपना कब्जा बताया है। जिससे कि प्र0डी0-02 की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। जहां तक कि उक्त भूमि पर पूर्व में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 व 02 और उनके पूर्वजों का कब्जा चले आ रहे होने का प्रश्न है, स्पष्ट है कि यह तथ्य स्वीकृत है कि भूमि शासकीय होकर खलियान की भूमि है, तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण की ओर से म0प्र0 शासन के विरुद्ध विरोधी आधिपत्य के आधार पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

19. प्रतिवादीगण की ओर से ऐसे किसी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें राजस्व न्यायालय के द्वारा सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 के संबंध में वादीगण का कब्जा दर्ज करने का कोई आदेश किया हो। चूंकि उक्त भूमि खलियान की होकर शासकीय भूमि है तब ऐसी स्थिति में पूर्व में प्रतिवादीगण का कोई कब्जा था तो वह अतिक्रामक का था और अतिक्रामक को कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के वादप्रश्न क्रमांक 03 को प्रतिवादीगण



के पक्ष में प्रमाणित नहीं मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित भूमि को शासकीय निस्तार के उपयोग की भूमि होना मानते हुए उस पर वादी का कोई स्वत्व नहीं होना माना है। इस प्रकार विचारण न्यायालय को द्वारा निर्णय के पैरा-20 एवं 22 में दिया गया यह निष्कर्ष पूर्णतः विधि सम्मत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 पर उनका स्वत्व व आधिपत्य है।

20. वहीं दूसरी ओर वादीगण के मामले पर विचार करें तब उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा सर्वे क्रमांक 564 की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और उसकी हैसियत भी अतिक्रमण की है। वादीगण की ओर से भी राजस्व न्यायालय के किसी आदेश की ऐसी प्रति पेश नहीं की गई है कि जिसमें वादीगण का कब्जा सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 पर दर्ज करने का करने का आदेश किया गया हो। वादीगण के द्वारा म0प्र0 शासन की भूमि सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 के संबंध में म0प्र0 शासन को न तो मुख्य पक्षकार बनाया है और न ही उसके विरुद्ध कोई सहायता चाही है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि है कि उभयपक्ष के मध्य जो विवाद है वह वास्तविक रूप से सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे0 की भूमि का है और वही भूमि प्रकरण में विवादित है, जिसे कि वादीगण के द्वारा अपने सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 हेक्टे0 की भूमि होना बताया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 563 में न होकर सर्वे क्रमांक 564 में है। वैसे भी उभयपक्ष की ओर से न्यायालय के माध्यम से उपरोक्त भूमियों के संबंध में कोई सीमांकन कार्यवाही नहीं कराई गई है।

21. जहां तक कि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 हेक्टे0 की भूमि का प्रश्न है। वादीगण की ओर से प्र0पी0-03 के खसरे की पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई है। यद्यपि वादीगण की ओर से उक्त प्रति का असल खसरा तलब करया जाकर उससे मिलान करते हुए उससे प्रमाणित नहीं किया है। परंतु उक्त खसरे और उसके इंद्राज के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है और न ही म0प्र0 शासन की ओर से कोई आपत्ति आई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त

प्र0पी0-03 के खसरे के इंद्राज को सही मान्य किया जाना ही उचित है।

22. उक्त खसरे में यह नोट लगा है कि न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद के प्रकरण क्रमांक 6/14/05/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 15.09.09 से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 543/05 प्रथम अपील दीवानी जनकश्री बनाम सूरज प्रसाद आदि में हुए राजीनामे के मुताबिक डिक्री अनुसार सर्वे क्रमांक 434 रकवा 0.78 हेक्टे0 एवं 563 रकवा 0.06 हेक्टे0 पर सरजू प्रसाद पुत्र राजाराम, श्यामवरन, सुनील बालिग, बृजबिहारी पुत्रगण सरजू प्रसाद नाबालिग समस्त स्वामी हुए। इस प्रकार वादीगण ही उक्त भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी हुए।

23. सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 पर वादीगण का कोई स्वत्व होना प्रकट नहीं है। उक्त भूमि पर वह अतिक्रमक की हैसियत से है। प्रस्तुत की गई साक्ष्य के अनुसार वादी जवाहर सिंह प्र0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-02 में यह स्वीकार किया है कि वादी सरजू प्रसाद का मकान सर्वे क्रमांक 563 पर बना हुआ है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नक्शे में सर्वे क्रमांक 563 में नीम, बेरिया, बबूल, पेड़ लगे होने और गौड़ा होना दर्शित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 में वादीगण का मकान स्थित है, अन्य बताई गई सम्पत्ति गौड़ा, खण्डे, ईंटें, घूरा, वृक्ष आदि स्थित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा इस आशय का निष्कर्ष पैरा-14, 15 एवं 16 में देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि वादीगण सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 हेक्टे0, जिसमें उनका मकान स्थित है, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 एवं 04:-

24. विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-18 में यह निष्कर्ष दिया है कि वादीगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एवं अतिक्रमक को वादी द्वारा विधि द्वारा कोई सहायता नहीं मिल सकती है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अवैधानिक रूप से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। विचारण न्यायालय का उक्त निष्कर्ष किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है, क्योंकि जबकि सर्वे क्रमांक 564 शासकीय भूमि है और उस पर

वादीगण के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तब ऐसी स्थिति में अवैधानिक रूप से बेदखल करने के प्रयास का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

25. जहां तक कि प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने के प्रयास का प्रश्न है। प्रतिवादीगण की स्वयं की स्थिति अतिक्रामक की है। अतः ऐसी स्थिति में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अवैधानिक रूप से बेदखल करने या उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। इस बिन्दु पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा दिया गया निष्कर्ष किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 05:-**

26. जहां तक कि वादीगण द्वारा उचित मूल्यांकन एवं पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा करने का प्रश्न है, वादीगण अपने दावे का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। उनके द्वारा अपने दावे में घोषणा के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता भी चाही गई है, जो पारिणामिक स्वरूप की है। प्र0पी0-03 के खसरे के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 363 रकवा 0.06 का लगान दो रुपए वार्षिक है, जिसके आधार पर लगान का बीस गुना मूल्यांकन 40/-रुपए किया गया है जो कि उचित प्रतीत होता है। न्यायालय फीस अधिनियम की अनुसूची-2 के आर्टिकल 17(3) के तहत निश्चित न्याय शुल्क 500/-रुपए उचित रूप से अदा किया गया है। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रुपए 400/- का मूल्यांकन किया गया है। जिसके मूल्यानुसार न्याय शुल्क 40/-रुपए होता है, परंतु न्यायालय फीस अधिनियम की धारा-7 (च) के अनुसार 100/-रुपए न्यूनतम फीस अदा करनी होगी। वादीगण के द्वारा भी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्याय शुल्क 100/-रुपए अदा किया गया है जो कि पर्याप्त है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा पैरा-24 एवं 25 में वादीगण के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किए जाने के संबंध में जो निष्कर्ष दिया है वह वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं है।

27. जहां तक कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा करने का प्रश्न है, प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.03 हेक्टे के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं आधिपत्य वापिसी की सहायता चाही गई है,

प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि का बाजार मूल्य 9,000/-रुपए अपने प्रतिदावे में बताया है। परंतु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा न्याय शुल्क 1,080/-रुपए अदा किया है। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 200/-रुपए वाद मूल्य निर्धारित करते हुए 40/-रुपए न्याय शुल्क अदा किया है। इस प्रकार कुल 1120/-रुपए की राशि न्याय शुल्क के रूप में अदा की गई है।

28. यद्यपि भूमि शासकीय होना प्रकट हुई है और प्रतिदावा प्रस्तुति दिनांक 25.06.13 की स्थिति में उक्त भूमि का मूल्य 9,000/-रुपए होना प्रकट नहीं होता है। परंतु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः 9,000/-रुपए को ही भूमि का मूल्य मान्य किया जाता है। प्रतिवादीगण के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की कोई सहायता नहीं चाही है। अपितु आधिपत्य वापिसी की सहायता चाही है। घोषणा एवं आधिपत्य वापिसी हेतु प्रतिदावे का मूल्यांकन 9,200/-रुपए किया जाना उचित प्रकट होकर उस पर मूल्यानुसार 1,120/-रुपए का न्याय शुल्क पर्याप्त होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा भी प्रतिदावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक 06 :-

29. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत अवलोकन कर, साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों को विचार में लेते हुए वादप्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 में जो निष्कर्ष दिया है वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिांक 26.08.15 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा वादीगण द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 563 रकवा 0.06 हेक्टे0 स्थित ग्राम टुडीला तहसील गोहद, जिसमें वादीगण का मकान बना हुआ है, के संबंध में प्रस्तुत किये गये स्वत्व घोषणा के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी घोषित किये जाने की जो डिक्री दी गई, वह हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है।



30. तदनुसार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण क्रमांक 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.15 की पुष्टि की जाती है।

31. उभयपक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1000/-रुपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार डिक्री तैयार की जावे।

32. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)